

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 304] No. 304] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2018/ वैशाख 20, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2018/VAISAKHA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

सं. 25/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 442(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, यथा :—

"स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय की दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।" के स्थान पर

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

- "*स्पष्टीकरण* इस अधिसुचना के प्रयोजनों के लिए,
- (a) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में

2594 GI/2018 (1)

विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय की दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ;

(b) "वीनीर्ड इंजीनियर्ड वूडन फ्लोरिंग" जिसकी विशेष रूप से तीन परतें हैं अर्थात "टॉप लेयर", "मिडिल लेयर" और "बॉटम लेयर" हैं; टॉप लेयर वास्तविक लकड़ी है जो आकर्षक लगती है (अपने कास्ट ढांचे के कारण) और उसमें समग्र निर्माण के लिए अतिरिक्त ताकत है और इसे लकड़ी की एक पट्टी, लकड़ी की दो पट्टियों और लकड़ी की तीन पट्टियों का बनाया जा सकता है; मिडिल लेयर, जो कि समग्र निर्माण का मुख्य भाग बनाता है और इसे ''फाइबर बोर्ड (एमडीएफ/एचडीएफ)'' का बनाया जाता है; और बॉटम लेयर वास्तविक लकड़ी होती है जो समग्र निर्माण को सहायता प्रदान करती है; विचाराधीन उत्पाद दो या तीन परतों का भी हो सकता है।"

[फा. सं. 354/61/2018-टीआरयू]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2018 को सा.का.िन. 287(अ), दिनांक 27 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2018

No. 25/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2018 – Customs (ADD), dated the 27th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 287(E), dated the 27th March, 2018, namely:—

In the said notification, for,

"Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act."

the following shall be substituted, namely:—

"Explanation.- For the purposes of this notification,—

- (a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act;
- (b) Veneered Engineered Wooden Flooring typically has three layers viz. "Top Layer", "Middle Layer" and "Bottom Layer"; Top Layer is real wood which gives attractive look (owing to its wooden texture) and additional strength to overall construction and it can be made of one strip

of wood, two strips of wood or three strips of Wood; Middle Layer which forms core of the overall construction and is made of "fibre board (MDF/HDF)"; and Bottom Layer is real wood which provides support to the overall construction; The Product Under Consideration (PUC) can however be of two or three layers also.".

[F. No. 354/61/2018-TRU]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Note: The principal notification No. 17/2018 – Customs (ADD), dated the 27th March, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 287(E), dated the 27th March, 2018.